***दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली***

***निर्णय सुरक्षित : 13.10.2023***

***निर्णय पारित : 01.11.2023***

***<u>रि.या.(सि.) 17460/2022</u>***

न्यायालय अपने स्वयं के समावेदन पर .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री दयान कृष्णन, वरिष्ठ *अधिवक्ता* (न्याय मित्र) सह श्री संजीवी शेषाद्री, अधिवक्ता।

बनाम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री एस राजप्पा एवं श्री आर गौरीशंकर, प्रत्यर्थी सं.1/केवीएस हेतु अधिवक्तागण।

**<u>रि.या.(सि.) 665/2023 एवं सि.वि.आ. 2585/2023</u>**

बधिरों का राष्ट्रीय संघ ..... याचिकाकार्ता

द्वारा: सुश्री संचिता ऐन, श्री हबीब मुजफ्फर एवं सुश्री सारा सन्नी अधिवक्तागण सह सुश्री मनीषा शर्मा एवं श्री अतुल कुमार आइएसएल दुभाषिये।

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री कीर्तिमान सिंह सीजीएससी के साथ श्री वाइज़ अली नूर एवं श्री यश उपाध्याय, *प्रत्यर्थी* / भारत संघ हेतु अधिवक्ता ।
श्री *एस* राजप्पा एवं श्री *आर* गौरीशंकर, *प्रत्यर्थी सं.*3 / केवीएस *हेतु अधिवक्ता*

***कोरम:***

***माननीय मुख्य न्यायमूर्ति***

***माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला***

***<u>निर्णय</u>***

***<u>श्री सतीश चन्द्र शर्मा, मु. न्या.</u>***

*1. एक बार फिर, हमारे सामने हमारे कुछ साथी नागरिक हैं जो राज्य की नजरों में समान और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर, विधायिका द्वारा स्पष्ट अभिव्यक्ति और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न संवैधानिक न्यायालयों द्वारा स्पष्ट अभिव्यक्ति के बावजूद एक ऐसा विभाग जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों से बेखबर है।*

*2. वर्तमान याचिका रि.या.(सि.) संख्या 17460/2022 को बधिरों का राष्ट्रीय संघ*

*(एनएडी/संघ) के अध्यक्ष श्री नारायणन के माध्यम से दिनांक 07.12.2022 के एक पत्र के आधार पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत किया गया है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 15/2022 व 16/2022 से व्यथित हैं, जिसमें प्राचार्य, उप प्राचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), लाइब्रेरियन, प्राथमिक शिक्षक (संगीत), वित्त अधिकारी साथ ही अन्य पद के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।*

*3. एनएडी ने अपने दिनांक 07/12/2022 के पत्र में कहा है कि केवीएस द्वारा जारी किए गए विज्ञापन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में हैं।*

*4. पत्र में आगे कहा गया है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 17 दिव्यांग शिक्षकों सहित शिक्षकों को नियोजित करने का आदेश देती है; और धारा 34 दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 4% आरक्षण का भी आदेश देती है, जिसमें से 1% पद बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। धारा 2(च) "संसूचना" की परिभाषा के तहत सांकेतिक भाषा को मान्यता देती है और धारा 16 में शैक्षणिक संस्थानों में बाधा मुक्त भागीदारी और उचित संयोजन के प्रावधान की आवश्यकता है। संघ का तर्क यह है कि केवीएस ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की है।*

*5. इस न्यायालय ने इस मामले में इस न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयानन कृष्णन को न्याय मित्र नियुक्त किया। इससे पूर्व, सुश्री सौदामिनी पेठे - जो एक बधिर अधिवक्ता थीं, इस मामले में पेश हो रही थीं। वह दिनांक 17.04.2023 को उपस्थित हुई हैं; दुर्भाग्य से, वह अब नहीं रही; और इसलिए, आज संघ का प्रतिनिधित्व सुश्री सारा सनी, अधिवक्ता द्वारा किया जाता है जो सांकेतिक भाषा दुभाषिया के साथ-साथ एक बधिर अधिवक्ता भी हैं, साथ ही संघ के लिए अधिवक्ता सुश्री संचिता ऐन भी हैं।*

*6. अन्य संबंधित मामले में, यानी रि.या.(सि.) सं. 665/2023 जिसका शीर्षक* ***बधिरों का राष्ट्रीय संघ बनाम भारत संघ व अन्य*** *है, संघ ने एक जनहित याचिका के माध्यम से उन्हीं विज्ञापन संख्या 15/2022 और 16/2022 को चुनौती दी है, और इसलिए, इन दोनों मामलों का निर्णय एक सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।*

*7. मामले के निर्विवाद तथ्यों से पता चलता है कि केवीएस ने विज्ञापन संख्या 15/2022 के माध्यम से केवीएस में अधिकारियों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए और विज्ञापन के माध्यम से केवीएस में विज्ञापन संख्या 16/2022 समाचार पत्र के साथ-साथ आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्राथमिक शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए दिनांक 02.12.2022 को विज्ञापन जारी किया है।*

8. *विज्ञापन* संख्या. 15/2022 *को निम्नानुसार उद्धृत* किया गया *है।*

# Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)

18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

Website: www.kvsangathan.nic.in

ADVERTISEMENT NO. 15/2022

Direct Recruitment for the posts of Assistant Commissioner, Principal, Vice Principal, PGT, TGT, Librarian and Non-Teaching post in Kendriya Vidyalaya Sangathan

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), henceforth mentioned as KVS, is an Autonomous Organization under the Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Government of India. It has its Headquarters office at New Delhi, 25 Regional offices located at Agra, Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Ernakulam, Gurgaon, Guwahati, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Patna, Raipur, Ranchi, Silchar, Tinsukia, Varanasi and 1252 Kendriya Vidyalayas (KVs) functioning all over the country including 03 abroad. It also has five Zonal Institutes of Education & Training (ZIETs). KVs are co-educational schools upto class 12th and focuses on holistic development of students.

KVS invites applications from Indian Citizens for filling up the posts of Assistant Commissioner, Principal, Vice Principal, PGT, TGT, Librarian, PRT ( Music), Finance Officer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Section Officer, Senior Secretariat Assistant, Junior Secretariat Assistant, Stenographer Grade-II and Hindi Translator in Kendriya Vidyalaya Sangathan to apply online through the KVS website www.kvsangathan.nic.in. No other means/mode of submission of applications will be accepted.

The recruitment examination will be conducted through Computer Based Test (CBT). If selected, the candidates may be posted anywhere in India on initial posting on selection. Haryanajobs.in

Post-wise and Category wise break up of vacancies is as under:-

1. ASSISTANT COMMISSIONER

| UR | OBC | SC | ST | TOTAL | HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 07 | 03 | 52 | 01 |

2. PRINCIPAL

| UR | OBC | SC | ST | TOTAL | OH | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 64 | 35 | 17 | 239 | 04 | 04 |

3. Vice Principal

| UR | OBC | SC | ST | TOTAL | OH | VH | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 54 | 30 | 15 | 203 | 02 | 03 | 02 |

4. POST GRADUATE TEACHER (PGT)

| S. No. | Subject | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | VH | HH | Others* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINDI | 72 | 46 | 25 | 12 | 17 | 172 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ENGLISH | 67 | 42 | 23 | 11 | 15 | 158 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | PHYSICS | 56 | 36 | 20 | 10 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHEMISTRY | 69 | 45 | 25 | 12 | 16 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MATHS | 77 | 49 | 27 | 13 | 18 | 184 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BIOLOGY | 63 | 40 | 22 | 11 | 15 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HISTORY | 27 | 17 | 9 | 4 | 6 | 63 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | GEOGRAPHY | 30 | 18 | 10 | 5 | 7 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ECONOMICS | 41 | 26 | 14 | 7 | 9 | 97 | 4* | 3* | 0 | 0 |
| 10 | COMMERCE | 30 | 17 | 9 | 4 | 6 | 66 | 4* | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COMPUTER SCIENCE | 59 | 38 | 21 | 10 | 14 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BIO-TECH. | 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 594 | 375 | 205 | 99 | 136 | 1409 | 22 | 11 | 0 | 0 |

Note: * including backlog vacancies

5. TRAINED GRADUATE TEACHER (TGT)

| S. No. | Subject | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | VH | HH | Others* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINDI | 155 | 101 | 56 | 28 | 37 | 377 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ENGLISH | 163 | 108 | 60 | 30 | 40 | 401 | 7 | 8* | 0 | 3 |
| 3 | SANSKRIT | 101 | 66 | 36 | 18 | 24 | 245 | 4 | 5* | 0 | 0 |
| 4 | SOCIAL STUDIES | 164 | 107 | 59 | 29 | 39 | 398 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | MATHEMATICS | 175 | 115 | 63 | 31 | 42 | 426 | 20* | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SCIENCE | 125 | 82 | 45 | 22 | 30 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P&HE | 178 | 117 | 65 | 32 | 43 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ART EDU. | 104 | 67 | 37 | 18 | 25 | 251 | 4 | 0 | 3 | 4* |
| 9 | WE | 140 | 91 | 50 | 25 | 33 | 339 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| | TOTAL | 1305 | 854 | 471 | 233 | 313 | 3176 | 51 | 29 | 6 | 4 |

Note:* including backlog vacancies

6. LIBRARIAN

| UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 95 | 53 | 26 | 35 | 355 | 6 | 5 |

7. PRIMARY TEACHER (MUSIC)

| UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | VH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 81 | 46* | 22 | 30 | 303 | 5 | 5 |

Note:* Including backlog vacancies

8. FINANCE OFFICER

| UR | OBC | SC | TOTAL | HH |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |

9. ASSISTANT ENGINEER (CIVIL)

| UR | SC | Total |
|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 |

10. ASSISTANT SECTION OFFICER

| UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | VH | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 42 | 23 | 11 | 15 | 156 | 2 | 2 | 1 |

11. HINDI TRANSLATOR

| UR | OBC | SC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |

12. SENIOR SECRETARIAT ASSISTANT

| UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | VH | HH | Ex-Ser. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 86 | 48 | 24 | 32 | 322 | 4 | 3 | 3 | 32 |

13. JUNIOR SECRETARIAT ASSISTANT

| UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | VH | HH | Ex-Ser. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 189 | 105 | 52 | 70 | 702 | 8 | 8 | 7 | 70 |

14. STENOGRAPHER GRADE-II

| UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | VH | Ex-Ser. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 8 | 4 | 5 | 54 | 1 | 1 | 5 |

The schedule of ONLINE submission of application is given below:-

| | |
|---|---|
| Commencement of Online submission on KVS website www.kvsangathan.nic.in | 05.12.2022 |
| Last Date for Online submission | 26.12.2022 (23.59 Hrs) |

Note:-

1. The number of vacancies advertised is tentative and may vary. They may decrease or increase.
2. Reservation for SC/ST/OBC/PH/EWS category will be as per Govt. of India Rules.
3. Age relaxation to SC/ST/OBC/PH & Ex-Servicemen category will be given as per Govt of India Rules.
4. For detailed information regarding eligibility criteria, age relaxation, fee, pay scales, examination centers, important instructions, scheme and syllabus of examination, mode of selection etc. candidates can visit KVS website www.kvsangathan.nic.in at home page i.e. Announcement and under Employment Notice sub-head vacancy position.

EN 36/117 Haryanajobs.in

JOINT COMMISSIONER (ADMN.)

No. 1/1/2022-Admn/APTEL/826/22

Appellate Tribunal for Electricity

Website: www.aptel.gov.in

Core-4, 7th Floor, SCOPE Complex, Lodhi Road

New Delhi-110003

Dated the 23rd November, 2022

EXTENSION OF LAST DATE OF VACANCY CIRCULAR

It is hereby informed that the last date of receipt of applications for the advertisement No. 1/1/2022-Admn /APTEL/624/22 dated 01.10.2022 published in Employment News dated 01-07 October, 2022 inviting applications for the following posts in Appellate Tribunal for Electricity, Ministry of Power on deputation/absorption basis, has been extended to 13.12.2022.

| Sl. No. | Name of the Post | No. of Posts | 7th CPC Pay Level |
|---|---|---|---|
| 1. | Court Master | (Two) | Level-7 (44900-142400) |
| 2. | Personal Assistant | (Four) | Level-6 (35400-112400) |
| 3. | Judicial Assistant (Filing) | (One) | Level-6 (35400-112400) |

The other contents in the above advertisement shall remain the same. Those who have already applied for above posts, are not needed to apply again.

(Madhulika Choudhary)

Ld. Registrar, APTEL

CBC 34122/12/0007/2223

EN 36/116

Continued from page 51

2. Candidates interested in applying for the posts may visit the website of the National Health Authority for details and download the application form. The application, complete in all respects and accompanied by the essential documents, should reach the undersigned within 45 days from the date of publication of this advertisement.

(Sraddha Paul)

Deputy Director (Admin.)

National Health Authority

EN 36/58

9. *विज्ञापन* संख्या. 16/2022 *को निम्नानुसार उद्धृत* किया गया *है*/

# Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)

18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

Website: www.kvsangathan.nic.in

HaryanaJobs.in

## ADVERTISEMENT NO. 16/2022

HaryanaJobs.in

**Direct Recruitment for the post of Primary Teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan**

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), henceforth mentioned as KVS, is an Autonomous Organization under the Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Government of India. It has its Headquarters office at New Delhi, 25 Regional offices located at Agra, Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Ernakulam, Gurgaon, Guwahati, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Kolkatta, Lucknow, Mumbai, Patna, Raipur, Ranchi, Silchar, Tinsukia, Varanasi and 1252 Kendriya Vidyalayas (KVs) functioning all over the country including 03 abroad. It also has five Zonal Institutes of Education & Training (ZIETs). KVs are co-educational schools upto class 12th and focuses on holistic development of students.

KVS invites applications from Indian Citizens for filling up the post of Primary Teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan to apply online through the KVS website **www.kvsangathan.nic.in.** No other means/mode of submission of applications will be accepted.

The recruitment examination will be conducted through Computer Based Test (CBT). If selected, the candidates may be posted anywhere in India on initial posting as per the requirement of the organization.

**IMPORTANT :**

**B.Ed Candidates can apply and go through the selection process but their inclusion in the panel based on merit will be subject to the outcome of the SLP in the Hon'ble Supreme Court.**

**Category wise break up of vacancies is as under:-**

**PRIMARY TEACHER**

| UR | OBC | SC | ST | EWS | Total | OH | VH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599 | 1731 | 962 | 481 | 641 | 6414 | 97 | 96 |

The schedule of ONLINE submission of application is given below :-

| | |
|---|---|
| **Commencement of Online submission on KVS website www.kvsangathan.nic.in** | **05.12.2022** HaryanaJobs.in |
| **Last Date for Online submission** | **26.12.2022 (23.59 Hrs )** |

**Note :-**

1. The number of vacancies advertised is tentative and may vary. They may decrease or increase.
2. Reservation for SC/ST/OBC/PH/EWS category will be as per Govt. of India Rules.
3. Age relaxation to SC/ST/OBC/PH & Ex-Servicemen category will be given as per Govt of India Rules.
4. For detailed information regarding eligibility criteria, age relaxation, fee, pay scales, examination centers, important instructions, scheme and syllabus of examination, mode of selection etc. candidates can visit KVS website **www.kv sangathan.nic.in** at home page i.e. Announcement and under Employment Notice sub-head vacancy position.
5. Once the candidate appear in written examination, fees paid by the applicant will not be refunded.

**EN 36/118**

**JOINT COMMISSIONER (ADMN.)**

10. *आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2(च), 17, 34 में निहित इस*

*क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान निम्नानुसार हैं।*

*"2(च) "संसूचना" में संसूचना के उपाय और रूप विधान, भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, उत्कीर्ण लेख, स्पर्शनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पहुंच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, विडियो, दृश्य, प्रदर्शन, संकेत भाषा, सरल भाषा, ह्यूमन रीडर, संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति और पहुंच योग्य जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित है;*

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

*17. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात्:-*

*(क) दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उम परिमाण के संबंध में जहां तक उन्हें वह पूरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर पांच वर्ष में सर्वेक्षण करना:*

*परंतु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा;*

*(ख) पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना:*

*(ग) शिक्षकों को, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी है जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित है और ऐसे शिक्षकों को भी, जो बौद्धिक रूप में दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित है, प्रशिक्षित और नियोजित करना:*

*(घ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृतिकों और*

*कर्मचारिवृन्द को प्रशिक्षित करनाः*

*(ङ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करनाः*

*(च) वाक्शक्ति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी को स्वयं को वाक्शक्ति के उपयोग की अनुपूर्ति के लिए संप्रेषण, बेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों सहित समुचित संवधी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना:*

*(छ) संदर्भित दिव्यांग छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां निःशुल्क उपलब्ध कराना;*

*(ज) संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;*

*(झ) दिव्यांग छात्रों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त उपांतरण करना जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या लेखक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट:*

*(ञ) विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और*

*(ट) कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हों।*

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

*34. (1) प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक*

*सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने के लिए आशयित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी,-*

*(क) अंधा और निम्न दृष्टिः*

*(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास:*

*(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है:*

*(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मासिक रुग्णताः*

*(ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है:*

*परंतु यह कि प्रोन्नति में आरक्षण ऐसे अनुदेशों के अनुसार होगा जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं:*

*परंतु यह और कि समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श से किसी सरकारी स्थापन में कार्य करने के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी सरकारी स्थापन को इस धारा के उपबंधों में छूट प्रदान कर सकेगी।*

*(2) जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में*

*उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रनीत होगी और यदि पश्चात्वतर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो पहले यह पांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगाः*

*परंतु यदि किसी स्थापना में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गों के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला-बदली की जा सकेगी।*

*(3) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजनों के नियोजन के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसा शिथिलीकरण प्रदान कर सकेंगी जैसा वह ठीक समझे।*

*11. उपरोक्त वैधानिक प्रावधान अनिवार्य रूप से दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें से 1% विशेष रूप से बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। आदेश स्पष्ट एवं पुण्यमय है।*

*12. संघ की शिकायत यह है कि प्रत्यर्थी/केवीएस ने विज्ञापन संख्या 15/2022 और* 16*/2022 के माध्यम से विज्ञापित पदों के संबंध में बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण प्रदान नहीं किया है;*

*और इसलिए, उक्त विज्ञापनों को रद्द कर दिया जाना चाहिए और संपूर्ण चयन - जिस हद तक रिक्तियां भरी जा चुकी हैं, जिन्हें बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों से भरा जाना था, को फिर से विज्ञापित किया जाना चाहिए।*

*13. मामले में प्रत्यार्थि केवीएस की ओर से उत्तर दायर किया गया है। केवीएस ने शपथ-पत्र में कहा है कि उन्होंने आरक्षण और सभी रिक्तियों से संबंधित लंबित न्यायालय के मामलों/शिकायतों को निपटाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा परिचालित अधिसूचना दिनांक 29.07.2013 के अनुसार रिक्तियों और आरक्षण की गणना की है। दिनांक 29.07.2013 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है, जो कि दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के लिए सक्रिय अधिसूचना है।*

*14. शपथ-पत्र में यह भी कहा गया है कि दिनांक 29.07.2013 की अधिसूचना के अनुसार केवीएस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, और समिति की सिफारिशों के आधार पर, कुछ पदों के संबंध में दिव्यांग श्रेणी (बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास) को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। संक्षेप में, केवीएस का रुख यह है कि उन्होंने दिनांक 29.07.2013 की*

*अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान किया है जिसमें पदों की पहचान की गई है। केवीएस ने शपथ-पत्र में कहा है कि केवीएस द्वारा गठित समिति ने दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत संदर्भित संदर्भित दिव्यांगजन को आरक्षण प्रदान किया है एवं दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए छूट की मांग की गई है।*

*15. यह ध्यान रखना उचित है कि प्राचार्य, उप-प्राचार्य, पीजीटी, टीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान विषयों के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षकों एवं शिक्षकों आदि के पदों को बाहर करने के लिए ऐसी कोई छूट अभिलेख पर नहीं लाई गई है।*

*16. केवीएस ने - अपनी स्वयं की समिति का गठन करके, बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास वाले व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर कर दिया है, और वास्तव में, प्राचार्य के पद सहित कुछ पदों के संबंध में नेत्रहीन व्यक्तियों को भी आरक्षण से बाहर कर दिया है।*

*17. विद्वान न्याय मित्र ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि केवीएस ने केवीएस में प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन संख्या 16/2022 जारी किया है। विज्ञापित कुल 6414 पदों में से 97 पद उन आवेदकों के लिए आरक्षित थे जो अस्थि दिव्यांग*

*(ओएच) थे और 96 पद उन आवेदकों के लिए आरक्षित थे जो दृष्टिबाधित (वीएच) थे। उक्त विज्ञापन में श्रवण बाधा (एचएच) वाले व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं था।*

*18. श्री दयान कृष्णन ने आगे तर्क दिया है कि विज्ञापन संख्या 15/2022 के माध्यम से, केवीएस ने केवीएस में सहायक आयुक्त, प्राचार्य, उप-प्राचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) लाइब्रेरियन, प्राथमिक शिक्षक (संगीत), वित्त अधिकारी, सहायक अभियंता (सिविल), सहायक अनुभाग अधिकारी, हिंदी अनुवादक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-II के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उक्त विज्ञापन संख्या 15/2022 में स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी), सहायक अभियंता (सिविल), हिंदी अनुवादक एवं आशुलिपिक ग्रेड- II के पदों के संबंध में श्रवण विकलांगता (एचएच) श्रेणी के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।*

*19. श्री कृष्णन ने इस न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के पद के लिए, 3176 पदों की कुल रिक्ति के मुकाबले श्रवण विकलांगता (एचएच) श्रेणी के लिए केवल 6 पद आरक्षित किए गए हैं।*

*20.* विद्वान *न्याय मित्र* ने प्रस्तुत किया है कि आरपीडब्ल्यूडी की धारा 34(1) अधिनियम का मानना है कि सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में, पदों के प्रत्येक समूह में कैडर क्षमता में रिक्तियों की कुल संख्या का *4% से कम नहीं* आरक्षित किया जाएगा। इन 4%, व्यक्ति में से जो बधिर हैं और *श्रवणशक्ति में ह्रास* 1% आरक्षण के हक़दार है।

*21. श्री कृष्णन ने आगे प्रस्तुत किया है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार समुचित सरकार स्थापनाओं में ऐसे पदों की पहचान करेगी, जिन्हें आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम कि धारा 34 के प्रावधान के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के संबंध में संदर्भित दिव्यांगजन व्यक्तियों की संबंधित श्रेणी के द्वारा रखा जा सकता है*।

*22. विद्वान न्याय मित्र ने आगे कहा है कि दिनांक 10.04.2023 के प्रति शपथ पत्र में, केवीएस ने विज्ञापन संख्या 15 /2022 एवं 16/2022 को सही ठहराने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.07.2013 पर भरोसा किया है। उनका तर्क यह है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.07.2013 के संदर्भ में की गई पहचान के आधार पर केवीएस द्वारा रिक्तियों का आरक्षण त्रुटिपूर्ण एवं*

*अनुपयुक्त है और वास्तव में भारत सरकार ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 33 के तहत दिनांक 04.01.2021 को एक अनुवर्ती अधिसूचना जारी की।*

23. *दिनांक 04.01.2021 की* अधिसूचना *निम्नानुसार उद्धृत* की *गई है:*

*"सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय*

*[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग*

*(दिव्यांगजन)]*

*अधिसूचना*

*नई दिल्ली 4 जनवरी 2021*

*संख्या. 38-16/2020-डीडी-III. – जबकि निरस्त दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसके बाद, निरस्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 33 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तीन श्रेणियों में कम से कम 3% आरक्षण प्रदान किया गया है, (i) सेरेब्रल पाल्सी सहित गतिविषयक दिव्यांगता, (ii) दृष्टि ह्रास (कम दृष्टि और अंधापन) एवं (iii) श्रवण बाधित।*

*2. और जबकि, निरस्त अधिनियम की धारा 32*

*समुचित सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की पहचान करने और तीन साल से अधिक न होने के आवधिक अंतराल पर ऐसी सूची की समीक्षा करने का आदेश देती है।*

*3. और जबकि, निरस्त अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16-15/2010-डीडी-III दिनांक 29 जुलाई, 2013 के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की सूची अधिसूचित की थी।*

*4. और जबकि, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय , भारत सरकार, के अनुसरण में निरस्त अधिनियम (15.06.2017 को निरस्त) की धारा 32 और 33 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार की सूची की समीक्षा के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 19 नवंबर, 2015 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की गई। उक्त आदेश की प्रति अनुलग्नक - क है।*

*5. और जबकि, विशेषज्ञ समिति ने 9 दिसंबर, 2015 को बैठक की और निर्णय लिया कि दिव्यांगता की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक उप-समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिन्हें उक्त निरस्त अधिनियम की धारा 33 के तहत आरक्षण प्रदान किया जाता है और तदनुसार, निम्नलिखित तीन उप-समितियां बनाई गईं अर्थात्:-*

*i. गतिविषयक दिव्यांगता के लिए उप-समिति*

*ii. श्रवण बाधित के लिए उप-समिति*

*iii. दृष्टि ह्रास के लिए उप-समिति*

*6. और जबकि, केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 34 की उप-धारा (1) के तहत संदर्भित दिव्यांगजन व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिया गया। नई श्रेणी (i) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता , विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानिसक रुग्णता;*

*(ii) अधिनियम की उक्त धारा में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के बीच बहुविध दिव्यांगताए*

*7. और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 33 समुचित सरकार को संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश देती है और तदनुसार, नई श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान का ध्यान रखने के लिए निम्नलिखित दो उप-समितियों का गठन किया गया था। अधिनियम के तहत, अर्थात्; (i) स्वपरायणता ,बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुगणता के लिए उप समिति, और (ii) बहुविध दिव्यांगता के लिए उप समिति*

*8. और जबकि, सभी उप-समितियों ने अधिसूचना संख्या 16-15/2010-डीडी-III दिनांक 29 जुलाई 2013 के माध्यम से अधिसूचित पदों की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विशेषज्ञ समिति ने अपनी बैठक में उप-समितियों की रिपोर्ट पर विचार किया 19 नवंबर 2019 को आयोजित बैठक में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया और अपनी रिपोर्ट विचार के लिए केंद्र सरकार को*

*सौंपी गई।*

*9. अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 33 पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार रिपोर्ट के सार को अधिसूचित करती है, जो अनुलग्नक -बी और केंद्र सरकार के पदों की सूची में समूह ए, बी, सी और डी में संदर्भित दिव्यांगजन वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचान की गई है जो केंद्र सरकार में सभी कैडर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुलग्नक-ग में है।*

*10. उक्त सूची 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 16-15/2010-डीडी-III के माध्यम से अधिसूचित समूह 'क', 'ख', 'ग' व 'घ' के लिए पदों की सूची को प्रतिस्थापित करती है।*

*नोट 1: संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायता और सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। समय-समय पर जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्ति पर सहायता और सहायक उपकरण*

*प्रदान किए जा सकते हैं।*

*नोट 2: अधिसूचित किए जा रहे पदों की सूची केवल सांकेतिक है, विस्तृत सूची नहीं है। यदि किसी पद का उल्लेख सूची में नहीं है तो यह नहीं माना जाएगा कि उसे छूट मिल गई है। केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दिव्यांगता की संबंधित श्रेणी के लिए चिह्नित किए गए पदों की सूची में जोड़कर सूची को और पूरक कर सकते हैं।*

*नोट 3: यदि कोई पद पहले से ही संदर्भित दिव्यांगजन वाले व्यक्ति के पास है, तो उसे संदर्भित दिव्यांगजन की उस श्रेणी के लिए पहचाना गया हुआ माना जाएगा।*

*नोट 4: यदि कोई पद परिपूरक श्रेणी में पहचाना जाता है, तो पदोन्नति श्रेणी के सभी पद भी पहचाने जाने चाहिए।*

*नोट 5: यदि किसी चिह्नित किए गए पद के संबंध में पद की प्रकृति और कार्य का स्थान समान है,*

*तो पद को पहचाना हुआ माना जाना चाहिए, भले ही पद का नामकरण अलग हो और/या किसी अलग समूह में रखा गया हो।*

*नोट 6: यह सूची संदर्भित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिह्नित किए गए पदों के संबंध में मुख्य सूची होगी। हालांकि, यदि किसी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान द्वारा पद की सूची अलग से पहचानी जाती है, तो पहचानी गई श्रेणियों की व्यापक श्रेणी वाली सूची (यानी प्रत्येक श्रेणी के तहत अधिक उपश्रेणियाँ) मान्य होगी।*

*नोट 7: यदि किसी पद को व्यापक श्रेणी के तहत एक से अधिक उप-श्रेणी के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो व्यक्तिगत केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों को सभी उप-श्रेणियों के लिए भर्ती आयोजित करनी चाहिए एवं स्व प्रेरणा नियुक्ति के लिए किसी एक ही विशेष उपश्रेणी*

*को नहीं चुन सकते।*

*नोट 8: यह केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों का काम है कि वे किसी भी चिह्नित किए गए पद पर नियुक्ति से पहले विकलांगता के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को सत्यापित करें और कार्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में अभ्यर्थी की उपयुक्तता की जांच करें।*

*नोट 9: इस अधिसूचना के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में विसंगतियों की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण हिंदी संस्करण पर हावी होगा।*

*चिकित्सक - प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव"*

*24. श्री कीर्तिमान सिंह, विद्वान सीजीएससी ने इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि अधिसूचना दिनांक 29.07.2013 उस समय संचालन में नहीं थी जब विज्ञापन जारी किया गया था, और वास्तव में, अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 संचालन में थी, और इसलिए केवीएस द्वारा आयोजित संपूर्ण प्रक्रिया की दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना के विपरीत है।*

*25. विद्वान न्याय मित्र श्री दयान कृष्णन के साथ-साथ सीजीएससी*

*के विद्वान श्री कीर्तिमान सिंह द्वारा भी यह तर्क दिया गया है कि केवीएस अपनी स्वयं की समिति का गठन करके उन पदों को बाहर नहीं कर सकता है जो दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना के अनुसार चिन्हित किए गए पद हैं।*

*26. इस न्यायालय ने विद्वान न्याय मित्र के साथ-साथ पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को भी विस्तार से सुना है, जिनमें सुश्री सारा सनी भी शामिल हैं, जो एक बधिर अधिवक्ता हैं।*

*27. निस्संदेह, केवीएस ने दिनांक 29.07.2013 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, श्रवण शक्ति ह्रास श्रेणी के तहत संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान नहीं किया है। विशेष रूप से, 29.07.2013 की अधिसूचना उस समय लागू नहीं थी जब विज्ञापन जारी किया गया था। दरअसल, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसरण में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और सिफारिशों के आधार पर उक्त विशेषज्ञ समिति की अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 के माध्यम से समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग में दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त के रूप में बड़ी संख्या में पदों की पहचान की गई।*

*28. दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना के नोट 1 में प्रावधान है*

*कि यदि दिव्यांगजन को अपनी दिव्यांगताओं को दूर करने के लिए कुछ सहायता और उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो नियोक्ता द्वारा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्ति पर उन्हें प्रदान किया जाएगा। नोट 1 में निर्दिष्ट आदेश सीधे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में "उचित सहायता" के प्रावधान से प्राप्त होता है।*

*29. उपरोक्त अधिसूचना का नोट 2 यह स्पष्ट करता है कि अधिसूचित किए जा रहे पदों की सूची एक विस्तृत सूची नहीं है और मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकाय सूची को संवर्धित कर सकते हैं। अर्थात्, यदि कोई विशेष विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय उक्त सूची में कोई अन्य पद संवर्धित करना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, धारा 32 के आधार पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जिन पदों को चिह्नित किया गया है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है - जैसा कि केवीएस द्वारा वर्तमान मामले में किया गया है। केवीएस ने शपथ-पत्र पर कहा है कि उन्होंने कुछ आंतरिक समिति का गठन किया है और बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास वाले व्यक्तियों (1%) के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है।*

*30. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, केवीएस ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। केवल इस*

*आधार पर विचाराधीन विज्ञापन रद्द किए जाने योग्य हैं। केवीएस ने एक ऐसी शक्ति ग्रहण कर ली है जो उसमें कभी निहित नहीं थी। पदों को चिह्नित करने के साथ-साथ छूट का कार्य समुचित सरकार के क्षेत्र में आता है। हालांकि, जब मामले पर बहस हो रही थी, तो केवीएस के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि भर्ती की प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, और इस समय, विज्ञापनों को रद्द करके, न्यायालय सेवाओं को बंद कर देगा। जिन व्यक्तियों का विज्ञापन के अनुसार विभिन्न पदों पर विधिवत चयन किया गया है।*

*31. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यदि भर्ती की प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो केवीएस - चिह्नित किए गए पदों के संबंध में, बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास वाले व्यक्तियों को विवादित विज्ञापनों के माध्यम से अधिसूचित कुल रिक्तियों के विरुद्ध 1% आरक्षण प्रदान करेगा, और दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती का अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें 1% चिह्नित किए गए ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास वाले हैं। दोहराने के लिए, आरक्षण की गणना रिक्तियों की कुल संख्या पर की जानी चाहिए और अंतिम नियुक्ति 2021 अधिसूचना में चिह्नित किए गए पदों पर होगी। पूरे संगठन में दिव्यांग श्रेणी के कुल 4% पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया इस आदेश*

*की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त की जाएगी।*

*32. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिव्यांगजनों को रिट याचिका दायर करने के लिए विवश किया जा रहा है और उन्हें केवीएस जैसे संगठन द्वारा दर-दर भटकने के लिए बाध्य किया जा रहा है। वे किसी दान का दावा नहीं कर रहे हैं, और वे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत अपने गारंटीकृत अधिकारों का दावा कर रहे हैं। विधायिका ने दिव्यांगजनों को "उचित सहायता" प्रदान करने का एक नेक दृष्टिकोण रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी संभावित विशेष उपाय अपनाए जाएं। इसके बावजूद, ऐसी उचित व्यवस्था बनाने के बजाय, प्रतिवादी ने दिव्यांगजनों को असुविधा की दृष्टि से देखा है।*

*33. नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य 2023:डीएचसी:7551-डीबी के मामले में एक हालिया निर्णय में, जो दिव्यांगजनों (नेत्रहीन या दृष्टिबाधित) के संबंध में था, इस न्यायालय ने - 04.01.2021 की उसी अधिसूचना पर भरोसा करते हुए, केवीएस को दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए संगठन में कुल चिन्हित पदों के संबंध में दृष्टिहीन और दृष्टि ह्रास व्यक्तियों को 1 % आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया है।*

*34. इसी प्रकार, वर्तमान मामले में भी, केवीएस - दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना के अनुसार चिन्हित किए गए पदों के संबंध में एक विज्ञापन जारी करेगा और इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर रिक्तियों के संचित कार्य को पूरा करेगा।*

*35. प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य के पदों को भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना में जगह मिली है। स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी), टीजीटी (प्रशिक्षित) के पद स्नातक शिक्षक), सहायक अभियंता (सिविल), हिंदी अनुवादक और आशुलिपिक ग्रेड- II को भी दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना में जगह मिलती है, और इसलिए, केवीएस को बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास वाले व्यक्तियों को संगठन में रिक्तियों की कुल संख्या का 1% आरक्षण प्रदान करके नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। इतना ही नहीं, केवीएस संगठन में कुल रिक्तियों के संबंध में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण प्रदान करेगा - जो विधि का आदेश है। बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास वाले व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त की जाएगी।*

*36. निष्कर्ष से पूर्व, हम यह देखने के लिए विवश महसूस करते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत आदेश के संबंध में विभिन्न विभागों की*

*समझ में विसंगति प्रतीत होती है। जबकि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत नोडल मंत्रालय) ने दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की सूची को अद्यतित कर दिया है, यह विचार उन विभागों तक नहीं पहुंचा है जो भर्ती करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा* ***विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग व अन्य,*** *(2021) 5 एससीसी 370 में एक समान "नीति विसंबंधन" नोट किया गया था, जिसमें नोडल मंत्रालय द्वारा अपनाया गया रुख भर्ती अभिकरण - यूपीएससी द्वारा अपनाए गए रुख के विपरीत पाया गया था। इस नीति विसंबंधन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें व्यक्तिगत मामलों के संवैधानिक न्यायालयों में जाने के बाद विभिन्न विभागों को एक ही सबक सीखना पड़ता है। इस प्रथा का सीधा प्रभाव दिव्यांगजनों को न्यायिक मंचों के समक्ष अपने बुनियादी अधिकारों का दावा करने के लिए मजबूर करना है, जिसे वांछनीय नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में, हम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के संबंधित सचिव को सभी विभागों द्वारा एक समान तरीके से आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश देते हैं। दिव्यांगजनों से किए गए हमारे वादे को पूरा करने में एक कदम अत्यंत दूरगामी सिद्ध हो सकता है।*

*37. आवेदन (यदि कोई हों) सहित याचिका का उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटान किया जाता है। जुर्माने का कोई आदेश नहीं।*

***(सतीश चंद्र शर्मा)***

***मुख्य न्यायाधीश***

***(संजीव नरूला)***

***न्यायमूर्ति***

***नवंबर 01, 2023***

***बी.एस. रोहिल्ला***

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*